न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस

अपील संख्याः 940/2018

1. गणेश पुत्र स्व. श्री प्रहलाद
2. शिमला पत्नि स्व. श्री प्रहलाद
   जाति मीणा, निवासीः ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थीगण**

बनाम

1. शंकर पुत्र काना(मृतक दौराने अपील)
   1/1 भोमा देवी पत्नि शंकरलाल
   1/2 भौरीलाल पुत्र शंकरलाल
   1/3 शम्भूदयाल पुत्र शंकरलाल
   1/4 गोपाल पुत्र शंकरलाल
   समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. धन्ना पुत्र काना
3. हजारी पुत्र काना
4. जैना पुत्र काना
5. श्रीमान तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
7. कानी पुत्री श्रवण पत्नि हरिराम जाति मीणा, निवासीः अमराबाद, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
8. नाथी पुत्री श्रवण पत्नि रामफूल जाति मीणा, निवासीः अमराबाद, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
9. श्रीमती कर्मा देवी पत्नि कृष्ण जाति मीणा, निवासीः ग्राम विशनसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
10. कैलाश पुत्र रामचन्दा जाति मीना, निवासीः ग्राम विशनसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
11. मिश्रीलाल पुत्र श्री रामनाथ जाति मीणा, निवासीः तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. कालूराम पुत्र श्री बद्रीनारायण
13. महादेव पुत्र श्री भौरीलाल
14. हनुमान पुत्र श्री कल्याणसहाय
15. रामसहाय पुत्र श्री सांवताराम
    समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम विशनसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

<u>अपील विरूद्व निर्णय डिक्री दिनांक 12.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर वाद पत्र संख्या 41/2013 उनवान शंकर बनाम धन्ना व अन्यअंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

:–<u>निर्णय</u>–: राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर के निर्णय डिक्री दिनांक 12.06.2018 वाद पत्र संख्या 41/2013 बउनवानी शंकर बनाम धन्ना व अन्य के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया किग्राम बिशनसिंहपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 82 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 83 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा संपूर्ण के हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/2 का वादी एवं हिस्सा 4/5 दर हिस्सा 1/2 के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 व शेष आराजीयात हिस्सा 1/2 का सहखातेदार स्व. श्रवण पुत्र नानगा रिकॉर्डेड एवं काबिज खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में दर्ज है। आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 काफी अरसे पूर्व मनबट अनुसार विभाजन कर अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग एवं फसल काश्त करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजीयात का कानूनी रूप से विधिवत तकासमा नहीं होने से पक्षकारान के मध्य विवाद की स्थिति बनी हुई है एवं पक्षकारगण को अपने–अपने हिस्से का उपयोग उपभोग फसल काश्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने प्रतिवादी से अपने–अपने हिस्सेनुसार सहमति से सरस नरस के आधार पर या फिर मनबट के आधार पर विभाजन करवाने हेतु निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी हमेशा टालते रहे। कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी ने विभाजन करवाने से साफ इंकार कर दिया एवं वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग की भूमि पर अवैध कब्जा कर दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी दी जिससे वादी को काफी मानसिक परेशानी का सामना करना पडा एवं वादी के लिये वादग्रस्त आराजी का शामलाती में रहकर फसल काश्त करना असंभव हो गया है इसलिये वादी के द्वारा वादग्रस्त आराजी के अपने हिस्से का विधिवत विभाजन करवाने के लिये यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि वादी का वाद विरुद् प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 इस अमर की विभाजन की डिक्री पारित की जावे की ग्राम किशनसिंहपूरा पटवार क्षेत्र खिजूरिया ब्राह्मणान भू-अभिलेख क्षेत्र देवगांव तहसील बस्सी स्थित भूमि आराजी ख.न. 82 रकबा 4 बिस्वा ख.न. 83 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा के सम्पूर्ण के हिस्सा 1/5 दर हिस्सा 1/2 का वादी एवं हिस्सा 4/5 दर हिस्सा 1/2 के प्रतिवादी सख्या 1 लगा. 4 के हक़ में व शेष आराजीयात हिस्सा 1/2 का सहखातेदार स्व. श्रवण पुत्र नानगा के हक़ में सरस-नरस के अनुसार या फिर यथासंभव कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुये व विभाजन के उपरान्त खाता व लगान पृथक कायम करने के तहसीलदार बस्सी को निर्देश प्रदान करे की साथ ही यह अनुतोष भी चाहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की वादी के कब्जे काश्त व फसल काश्त उपयोग-उपभोग में मदाखलत मजाहमत नही करे / रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे, प्रतिवादी संख्या 5 को रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये प्रतिवादी संख्या 6 को प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 4 द्वारा या फिर किसी दिगर व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज रहन, बय, विक्रय, बक्शीश आदि पंजीकृत नही करने के लिये पाबन्द फरमाया जावे | अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में यह उल्लेख तो किया गया कि प्रश्नगत आराजी के आधे हिस्से के सहखातेदार स्व.श्रवण पुत्र नानगा है किन्तु वाद के उनवान में उसके किसी वारिस को पक्षकार नही बनाया गया, जिससे दिनांक 04/04/2013 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृत्तक श्रवण पुत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

नानगा की वारिसान यथा कानी देवी पुत्री स्व. श्रवण एवं नाथी देवी पत्नि रामफूल पुत्री स्व.श्रवण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 बाबत बनाये जाने पक्षकार वाद प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों कि बहस सुनी जाकर अपने आदेश दिनांक 01/06/2017 के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 स्वीकार करते हुये प्रार्थीगण को प्रतिवादी संख्या 7 व 8 समायोजित किया गया साथ ही तहसीलदार बस्सी को कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु लिखा गया एवं अपने निर्णय दिनांक 12/06/2018 के द्वारा वाद में किसी भी पक्षकार द्वारा लिखित या मौखिक रूप से आपत्ति नही पेश करने से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद अन्तिम डिक्री कर दिया गया, जिसके विरुद्द इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | चूँकी इस न्यायालय के समक्ष अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी, अत: अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद प्रस्तुत हुआ, जिस पर दोनों पक्षों को सुना जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23/11/2020 के जरिये प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद प्रस्तुत होना शुमार किया गया | अपील के इस न्यायालय में विचाराधीन रहते हुये दिनांक 28/08/2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 श्रीमती कर्मा देवी, कैलाश, मिश्रीलाल, कालूराम, महादेव, हनुमान एवं रामसहाय की और से प्रस्तुत हुआ, प्रार्थना पत्र के साथ एक पंजीकृत विक्रय अभिलेख की प्रति प्रस्तुत हुई | उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया कि रेस्पो. संख्या 7 व 8 के द्वारा उनके हिस्से की आराजीयात का बैचान प्रार्थीगण के हक़ में कर दी गयी थी जिसके पश्चात इसका अंकन भी जमाबन्दी में हो चूका है तथा तकासमें की कुर्रेजात रिपोर्ट आदि में भी प्रार्थीगण का अंकन हो रहा है, अपीलांट द्वारा जानबूझकर प्रार्थी को पक्षकार अपील समायोजित नही किया गया है, साथ ही यह भी अंकित किया गया कि आराजी ख.न. 83 पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है एवं कुर्रेजात रिपोर्ट में भी प्रार्थीगण का कब्जा आराजी ख.न. 83 में ही अंकित किया गया है, अत: प्रार्थीगण को पक्षकार अपील समायोजित किया जावे | इस पर इस न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी जाकर अपने आदेश दिनांक 03/10/2019 के द्वारा प्रार्थीगण को पक्षकार अपील बतौर रेस्पोडेन्ट्स समायोजित किये जाने का एवं संशोधन उनवान प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया गया, जिस पर संशोधित उनवान अपील पेश हुआ तत्तपश्चात बहस अभिभाषक पक्षकारान बाबत मूल अपील समायत की गयी |

3 अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अपीलार्थीगण के पिता व पति प्रहलाद की मृत्यु दिनांक 28/11/2017 को हो चुकी थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके वारिसान को रिकार्ड पर नही लिया जाकर प्रकरण में अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 12/06/2018 पारित कर दी गयी है जबकी अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 4 के फौत होने का तथ्य था इसके बावजूद उसके वारिसान अपीलार्थीगण को पक्षकार वाद नही बनाया जाकर वाद को अन्तिम डिक्री कर दिया गया, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री मृत्त व्यक्ति के विरुद्द होने से ख़ारिज की जावे एवं अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रकरण में पुन: अन्तिम डिक्री पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित अधीनस्थ न्यायालय को किया जावे |

4 अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन वाद में दिनांक 01/06/2017 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की गयी है एवं अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद में प्रतिवादी संख्या 4 का ईन्तकाल दिनांक 28/11/2017 को होना दर्शाया गया है यद्दपि अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ कोई मृत्यु प्रमाण पत्र इस सन्दर्भ का प्रस्तुत नही किया गया है एवं जैसाकी प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है प्रतिवादी संख्या 4 प्रहलाद का ईन्तकाल दिनांक 28/11/2017 को हुआ है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 01/06/2017 को पारित कर दी गयी है जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या 4 के जीवनकाल में ही पारित हुई है अन्यथा भी अपीलार्थी द्वारा प्रारम्भिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

डिक्री के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही की गयी है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री का आदेश यथावत है। अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अपनी बहस में उल्लेख किया है कि प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु के बाबत अधीनस्थ न्यायालय को जानकारी होते हुये भी मृत व्यक्ति के विरुद्ध अन्तिम डिक्री पारित की गयी है इस सन्दर्भ में अभिभाषक रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की समस्त आदेशिकाओ का उल्लेख किया एवं निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ में कही भी प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु का उल्लेख नही है, जिससे यही माना जायेगा की अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी के अभाव में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गयी है। अभिभाषक रेस्पो. ने हमारा ध्यान अपील के तथ्यों की ओर आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अपील में इस तथ्य के अलावा की अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गयी है, यह कभी भी उल्लेख नही किया गया है कि कुर्रेजात रिपोर्ट में क्या कमी है या अपीलार्थी के पूर्वज के हिस्से में कुर्रेजात के पश्चात आई आराजीयात किसी प्रकार कमतर है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री में मात्र अपीलार्थीगण के नाम का अंकन नही होने की त्रुटी की वजह से सम्पूर्ण निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाना न्यायोचित्त नही होगा। मात्र प्रतिवादी संख्या 4 के स्थान पर अपीलार्थीगण का नाम अंकित करके संशोधित उनवान की निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जा सकते है।

5 हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रतिवादी संख्या 4 का ईन्तकाल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में प्रारम्भिक डिक्री पारित करने के पश्चात हुआ है, जिससे वाद में पारित प्रारम्भिक डिक्री पर मृत्यु के तथ्य का कोई प्रभाव नही पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12/06/2018 एवं उसके सन्दर्भित प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि मृत प्रहलाद के सन्दर्भित हिस्से को उसमे दर्शाया गया है मात्र मृत्तक प्रहलाद के नाम के स्थान पर उसके वारिसान यथा अपीलान्ट्स के नाम अंकन नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से यह कही दर्शाया नही गया है कि उसके पूर्वज प्रहलाद को कुर्रेजात रिपोर्ट में मौके पर कोई कमतर स्तर की आराजीयात दी गयी हो जिससे की कुर्रेजात रिपोर्ट किसी प्रकार त्रुटीपूर्ण सिद्द होती हो किन्तु यह तथ्य स्वीकार्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट में मृत्तक प्रहलाद के हिस्से के अंकन के आधार पर ही अन्तिम डिक्री पारित कर दी गयी है जिसका संशोधन आवश्यक समझा जाता है।

6 अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मात्र इस हद तक स्वीकार की जाती है कि अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में तहसील से मृत्तक प्रहलाद के स्थान पर उसके वारिसान/अपीलार्थीगण का अंकन कराया जाकर वाद में तदनुसार मृत्तक प्रहलाद के वारिसान का नाम अंकित करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री संशोधित पारित करे। निर्णय की प्रति सहित पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो।

7 पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8 आज दिनांक 09/4/2021 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर